रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1287] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 23, 2007/कार्तिक 1, 1929
No. 1287] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 23, 2007/KARTIKA 1, 1929

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अक्तूबर, 2007

आय-कर

का.आ. 1805(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 22 के साथ पठित आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 115बग की उप-धारा (1) के खंड (खक) के स्पष्टीकरण (i) के साथ पठित धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (बारहवां संशोधन) नियम, 2007 है ।

(2) ये 1 अप्रैल, 2008 से प्रवृत्त होंगे ।

2. आय-कर नियम, 1962 में, भाग 7ख के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"भाग 7ग

अनुषंगी फायदा कर

40ग. विनिर्दिष्ट प्रतिभूति या श्रम साधारण शेयर का, जो कंपनी में शेयर है, मूल्यांकन.—(1) धारा 115बग की उप-धारा (1) के खंड (खक) के प्रयोजनों के लिए किसी विनिर्दिष्ट प्रतिभूति या श्रम साधारण शेयर का उचित बाजार मूल्य, जो किसी कंपनी में साधारण शेयर है, उस तारीख को, जिसको विकल्प कर्मचारी के साथ निहित होता है, उप-नियम (2) या उप-नियम (3) के उपबंधों के अनुसार अवधारित किया जाएगा ।

(2) उस दशा में, जहां विकल्प के निहित रहने की तारीख को, कंपनी के शेयर किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं, वहां उचित बाजार मूल्य तारीख को उक्त स्टाक एक्सचेंज में शेयर के आरम्भिक मूल्य और अंतिम मूल्य का औसत होगा :

परन्तु यह कि जहां विकल्प के निहित रहने की तारीख को, शेयर एक से अधिक मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैं, वहां उचित बाज़ार मूल्य उस मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में, जो शेयर में अधिकतम व्यापार लेखबद्ध करता है, शेयर के आरंभिक मूल्य और अंतिम मूल्य का औसत होगा :

परन्तु यह और कि जहां विकल्प के निहित रहने की तारीख को, किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में शेयर का व्यापार नहीं होता है, वहां उचित बाजार मूल्य—

(क) विकल्प के निहित रहने की तारीख की निकटतम तारीख को और उससे ठीक पूर्ववर्ती ऐसी तारीख को किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में शेयर का अंतिम मूल्य होगा ; या

(ख) किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में शेयर का अंतिम मूल्य होगा, जो ऐसे शेयर में अधिकतम व्यापार लेखबद्ध करता है, यदि अंतिम मूल्य, जो विकल्प के निहित रहने की तारीख की निकटतम तारीख को और ठीक पूर्ववर्ती ऐसी तारीख को, एक से अधिक मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में लेखबद्ध किया जाता है ।

(3) ऐसी दशा में, जहां विकल्प के निहित रहने की तारीख को, कंपनी के शेयर किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं हैं, वहां उचित बाजार मूल्य, कंपनी में शेयर का ऐसा मूल्य होगा जो नियत तारीख को किसी वाणिज्यिक बैंककार द्वारा अवधारित किया जाता है ।

(4) इस नियम के प्रयोजन के लिए,–

(क) किसी तारीख को किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में किसी शेयर का "अंतिम मूल्य" ऐसी तारीख को ऐसे स्टाक एक्सचेंज में अंतिम परिनिर्धारण का मूल्य होगा :

परन्तु यह कि जहां स्टाक एक्सचेंज "क्रय" और "विक्रय" मूल्य दोनों को कोट करता है वहां अंतिम मूल्य अंतिम परिनिर्धारण का "विक्रय" मूल्य होगा ।

(ख) "वाणिज्यिक बैंककार" से, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 3 के अधीन स्थापित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत प्रवर्ग I वाणिज्यिक बैंककार अभिप्रेत है ।

(ग) किसी तारीख को किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में किसी शेयर का "आरम्भिक मूल्य" ऐसे स्टाक एक्सचेंज में ऐसी तारीख को प्रथम परिनिर्धारण का मूल्य होगा :

परन्तु यह कि जहां स्टाक एक्सचेंज "क्रय" और "विक्रय" मूल्य दोनों को कोट करता है वहां आरम्भिक मूल्य प्रथम परिनिर्धारण का "विक्रय" मूल्य होगा ।

(घ) "मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज" का वही अर्थ होगा, जो प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 2 के खंड (च) में है ।

(ङ) "नियत तारीख" से निम्नलिखित अभिप्रेत है,–

(i) विकल्प के निहित रहने की तारीख; या

(ii) विकल्प के निहित रहने की तारीख से पूर्वतर कोई तारीख, जो ऐसी तारीख नहीं है जो निहित होने की तारीख से 180 दिन से अधिक पूर्व की है ।

(च) "साधारण शेयर" का वही अर्थ होगा, जो कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 85 में है ।"

[अधिसूचना सं. 264/07 फा. सं. 142/25/2007-टीपीएल]

शोभन कर, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम अधिसूचना सं. का.आ. 969(अ) तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन (ग्यारहवां संशोधन) अधिसूचना सं. का.आ. 1762(अ), तारीख 16 अक्तूबर, 2007 द्वारा प्रकाशित किया गया था ।

स्पष्टीकारक ज्ञापन

वित्त अधिनियम, 2007 ने आयकर अधिनियम के उपबंधों का संशोधन किया है जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि नियोक्ता जब कभी कर्मचारियों को कर्मचारी स्टाक विकल्प स्कीम आबंटित या अंतरित की गई थी, कर्मचारियों को मंजूर की गई कर्मचारी स्टाक विकल्प स्कीम के मूल्य पर अनुषंगी फायदा कर का संदाय करने के दायी होंगे । अनुषंगी फायदा कर के उद्ग्रहण के प्रयोजनों के लिए कर्मचारी स्टाक विकल्प स्कीम का मूल्य विकल्पों के निहित रहने की तारीख को कर्मचारी स्टाक विकल्प स्कीम का उचित बाजार मूल्य होगा जिसमें से वास्तविक रूप से संदत्त या कर्मचारी से वसूल की गई रकम की कटौती की गई हो ।

आयकर अधिनियम की धारा 115 बग की उप-धारा (1) के खंड (खक) के स्पष्टीकरण (i) में "उचित बाजार मूल्य" को परिभाषित करता है, जिससे कि ऐसी पद्धति के अनुसार जो बोर्ड द्वारा विहित की जाए, अवधारित मूल्य का अर्थ लगाया जा सके । तद्नुसार, इस प्रयोजन के लिए आयकर नियम में एक नया नियम 40ग अंत:स्थापित किया गया है ।

नया नियम 40ग, 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी होगा और तद्नुसार निर्धारण वर्ष 2008-2009 और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।